



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 877815

(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

हम स्मारक मिश्र एवं दिवाकर मिश्र क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक राममुरली मिश्र स्मारक शिक्षा समिति, ग्राम-बीरपुर, पोस्ट-अमादरवेशपुर, तहसील-आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा आर०एम०एम० कालेज ऑफ फार्मसी ग्राम-बबुरा, पोस्ट-महुलिया, तहसील-जलालपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम आर०एम०एम० कालेज ऑफ फार्मसी ग्राम-बबुरा, पोस्ट-महुलिया, तहसील-जलालपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में गाटा संख्या 3ख,175,176,159,157 व 159 रकबा 0.8100हे० भूमि है।
3. यह कि,उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि,उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 3ख,175,176,159,157 व 159 रकबा 0.8100हे० पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02.04.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि,उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि,निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्वाहित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

हो सभ्य बरतनुकी को
विशेष ...
पोस्टु...
व प्रस्तावित भवनों
अनुमोदित की जाय

(Signature)

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30900 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट प्राथमिक स्तर प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का मलीमांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा झुठिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

80 सचिव
दिवाकर मिश्र

80 अध्यक्ष
रमाशंकर मिश्र

की सेवा करनेवाला था मैं सम्बद्ध
दिल्ली ...
संयुक्त की सम्बद्ध सम्बद्ध की सम्बद्ध रूप
न सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध की सम्बद्ध रूप
सम्बद्ध की सम्बद्ध